कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई (छ.ग.)

//रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रण सूचना//

भिलाई दिनांक 25/04/2022

क्र./भ.स./न.नि./2022/134

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई में वित्तीय वर्ष 2022–23 में द्वि प्रविष्ठि लेखा पद्धति लेखा कार्य C.A फर्म से रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर दर 03 लिफाफा पद्धति से दिनांक 17.05.2022 को 05:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत नियम एवं शर्ते दिनांक 26.05.2022 तक समय 05:00 बजे तक नगर पालिक निगम भिलाई के वेइसाईट **www.bhilainagarnigam.com** में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड करने की स्थिति में राशि रु. 750.00 के डिमांड ड्राफ्ट आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई एवं धरोहर राशि रु. 15,000.00 कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के संयुक्त नाम से किसी राष्ट्रीकृत बैंक से जारी हो जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ जीवित पंजीयन की प्रति, नोटरी से जारी रु.100.00 का शपथ पत्र की मूल प्रति , पेन कार्ड/जी.एस.टी. की प्रति आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र सभी स्व हस्ताक्षरित एवं डी.डी. तथा धरोहर राशि लिफाफा "अ", लिफाफा "ब" में दर तथा लिफाफा "स" में लिफाफा अ एवं ब डालकर कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक से निर्धारित तिथि एवं समय में पहुचाना होगा। सर्वप्रथम लिफाफा "अ" खोला जाएगा। सभी दस्तावेज निर्धारित शुल्क/धरोहर राशि प्राप्त होने के उपरांत लिफाफा "ब" वित्तीय ऑफर खोला जाएगा। प्राप्त दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय बगैर कारण बताए आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

//नियम शर्ते//

विषय – वित्तीय वर्ष 2022–23 में द्वि प्रविष्ठि लेखा पद्धति लेखा कार्य C.A फर्म से कराए जाने के संबंध में।

1. दिनांक 22.04.2022 की स्थिति में C.A फर्म का मुख्यालय जिला दुर्ग में अनिवार्य रुप से स्थित हो।
2. ICAI फर्म गठन सर्टिफिकेट के अनुसार फर्म 10 वर्षो या उससे अधिक समयावधि से संचालित होना चाहिए।
3. दिनांक 22.04.2022 की स्थिति में C.A. फर्म में न्यूनतम 03 CA नियमित/पूर्ण रुप से भागीदार होना चाहिए।
4. वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के मध्य 05 वर्षो की अवधि में से न्यूनतम 03 वर्षो तक छ.ग. राज्य के किसी भी उपक्रम/मण्डल/निगम या कार्यालय जिसका वार्षिक टर्नओवर 700 करोड़ या उससे अधिक हो का आंतरिक अंकेक्षण, प्रणाली विकास, वित्त एवं लेखा संबंधित निगरानी एवं नियंत्रण का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
5. संबंधित फर्म/संस्था का विगम 03 वित्तीय वर्षो 2018–19 से 2019–21 तक औसतन टर्न ओवर 50 लाख अनिवार्य होना चाहिए।
6. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित फर्म के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर लिफाफा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. फर्म तथा लाईसेंस की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
8. सर्शत निविदाए स्वीकार नही होगी।
9. दरें समस्त कर सहित देंवे।
10. दरें एक वर्ष तक वैध रहेगा एवं आवश्यकतानुसार समयवृद्धि की जा सकेगी।
11. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार निगम आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।
12. कार्य नगर पालिक निगम भिलाई के संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार एवं समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा।
13. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए द्वि प्रतिष्ठी लेखा पद्धति से लेखा कार्य बैलेंसशीट ऑडिटेंड एकाउंट एवं अन्य समस्त प्रकार के समस्त अनुशंगिक कार्य किया जाना, इस कार्य के अंतर्गत सम्मिलित रहेंगे (Scope of Work) प्रपत्र में दर्शाए अनुसार प्रपत्र संलग्न है।
14. निगम के लेखा विभाग के साथ मासिक आधार पर वित्तीय स्थिति, राजस्व एवं व्ययों, प्राप्त राशि वसूली योग्य राशि इत्यादि की समीक्षा करना एवं संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण।
15. वैधानिक प्रावधानों जैसे आयकर टी.डी.एस. टी.सी.एस., वस्तु एवं सेवा कर, प्राविडेंण्ट फण्ड, कर्मचारी बीमा इत्यादि के अनुपालन की समीक्षा करना एवं मासिक आधार पर वैघानिक अनुपालन को जारी करना।

16. निगम के त्रैमासिक वित्तीय विवरणों को तिमाही समाप्त होने के पश्चात् 20 तारीख तक बनाने में सहायता करना।
17. मासिक बैंक समाधान विवरण बनाना सुनिश्चित करना एवं उसकी समीक्षा करना।
18. वार्षिक बजट बनने की प्रक्रिया का संचालन करना एवं सभी संबंधित व्यक्तियों हेतु इसे उपयोगी बनाने हेतु सभी आवश्यक सुझावों को लागू करना। बजट एवं वास्तविक विश्लेषण के प्रक्रिया को लागू करना।
19. निगम द्वारा प्रस्तावित नए व्यासायिक परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन करना एवं निष्कर्ष प्रदान करना।
20. निगम के वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों एवं लेखा सिद्धातों के आधार पर तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
21. सी.ए.जी. एवं वैधानिक अंकेक्षण द्वारा किसी प्रकार के वैधानिक अंकेक्षण करने पर निगम के लेखा विभाग के साथ समन्वय एवं मार्गदर्शन करना।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम आयुक्त का निर्णय मान्य एवं अंतिम होगा।

सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

उप अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई